प्रेस नोट
दिनांक : 17.12.2025
स्थान : रक्तदान शिविर, रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित 'अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल' में अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी के 99वें बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का किया गया शुभारम्भ-

पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी / पश्चिमी महोदय द्वारा साथी पुलिस कर्मियों व अन्य समाज सेवियों संग किया गया रक्तदान

आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित 'अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल' में अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी के 99वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर जनपदवासियों, पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन अमर शहीद के प्रति श्रद्धा, सामाजिक सरोकार तथा मानव सेवा की भावना को समर्पित है। स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा उनके अद्वितीय साहस, राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं पश्चिमी महोदय, अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं जनपदवासियों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में प्रतिभाग करने वालों में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा लोगों ने इसे एक पुनीत एवं मानव कल्याण से जुड़ा कार्य बताया। साथ ही आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पुलिस कर्मियों, उनके परिवारजनों, जनपदवासियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य जांच कराई गई। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक लैब जांच आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई । स्वास्थ्य शिविर में चिकित्साधिकारी डा० रवि वर्मा, स्टाफ नर्स शैलेष त्रिपाठी, लैब टेक्नीशियन अम्बरीश सिंह एवं राजीव उपाध्याय, काउंसलर निशा वर्मा तथा पंकज दुबे (वार्ड बॉय) की टीम द्वारा समर्पित भाव से स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श प्रदान किया गया। उपस्थित चिकित्सकीय टीम द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए नियमित जांच एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि 17 दिसंबर का दिन अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस के रूप में इतिहास में अंकित है। आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें गोण्डा जिला कारागार में फांसी दी गई थी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके इसी त्याग और बलिदान से प्रेरित होकर गोण्डा पुलिस द्वारा यह रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित पुलिस कर्मियों एवं जनपदवासियों से अपील की गई कि उनके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। रक्तदान से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह शरीर के लिए लाभकारी होता है। साथ ही यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी परिचायक है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आगे आकर नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 17.12.2025

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद मोटर साइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा क्षेत्र थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 330/25 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस से संबंधित शातिर वाहन चोर 01. आदिल अहमद पुत्र साकिर हुसैन 02. रिजवान पुत्र लाल मो0 को अगया चयपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गईं ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.12.2025 को वादी सूर्यनाथ पुत्र हरिराम निवासी ग्राम कचरौली थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोड़ारे में तहरीर दी गई कि दिनांक 08/12/25 को शाम के समय घर से खरीददारी करने के लिए कूकनगर ग्रण्ट आजाद नगर में मोटर साइकिल हीरो स्पेलेन्डर प्रो को अण्डा की दुकान के बाहर खड़ी करके दुकान के अन्दर बैठा था। दुकान से बाहर आने पर मोटरसाइकिल नहीं दिखी, काफी खोजबीन की लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली । वादी द्वारा शंका व्यक्त की गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान आज दिनांक 17.12.2025 को खोड़ारे पुलिस द्वारा सूचना पर आरोपी अभियुक्तगण शातिर वाहन चोर 01. आदिल अहमद पुत्र साकिर हुसैन 02. रिजवान पुत्र लाल मो0 को अगया चयपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गईं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आदिल अहमद पुत्र साकिर हुसैन उम्र करीब 21 वर्ष ।
02. रिजवान पुत्र लाल मो0 उम्र करीब 23 वर्ष नि०गण ग्राम महाराजगंज ग्रन्ट पहियवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 330/25 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हीरो स्पेलेण्डर प्लस (रंग सिल्वर ब्लैक रजि0 नं0 UP 55 AM 4346)
02. हीरो स्पेलेण्डर प्रो (रंग काला रजि0 नं0 UP 51 Y 9822)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र शुक्ला मय हमराह
02. उ0नि0 श्री बिकाउ प्रसाद
03. हे कां0 अजय शुक्ला
04. कां0 मनोज कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.12.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा बकरी चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 11 अदद बकरियाँ बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 302/2025 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त किशन सोनकर पुत्र गोमती को विशुनापुर से लालनगर कहला तेन्दुआ नहर पुलिया के पास गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर गन्ने के खेत में ही बँधी हुई 11 अदद बकरियों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.12.2025 को वादी मो० सहबान पुत्र सहुरत अली नि० ग्राम कहला तेन्दुआ (राजा पुरवा) थाना खरगूपुर देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 13.12.25 की रात उनके झोपड़ी में 14 बकरियाँ बंधी थी जहां से बकरियों को अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17.12.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान आरोपी अभियुक्त किशन सोनकर पुत्र गोमती को विशुनापुर से लालनगर कहला तेन्दुआ नहर पुलिया के पास गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर गन्ने के खेत में ही बँधी हुई 11 अदद बकरियों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. किशन सोनकर पुत्र गोमती निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 302/25 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी की बकरियां - 11

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार मय हमराह
02. हे0का0 जनार्दन यादव
03. का0 अमन सिंह
04. का0 सुजीत कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 01 वांछित/वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 560/2025 धारा 331(4), 305(A), 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित/वारण्टी अभियुक्त ऐनुल पुत्र निजाम को चन्दवतपुर घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी सलमा पत्नी अब्दुल सलाम निवासी ग्राम खरगूचाँद पुर रुदई पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 8/9.12.24 की रात किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर से 3 बकरा व 2 बकरी चोरी कर ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना / साक्ष्य संकलन एवं मा0 न्यायालय से प्राप्त वारण्ट आदेश के क्रम में आज दिनांक 14.12.2025 को कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्त ऐनुल पुत्र निजाम को चन्दवतपुर घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ऐनुल पुत्र निजाम निवासी जमदरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 560/2025 धारा 331(4), 305(A), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऐनुल पुत्र निजाम-

01. मु0अ0सं0 366/2023 धारा 379/413 आईपीसी थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
02. मु0अ0सं0 367/2023 धारा 379/413/411 आईपीसी थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
03. मु0अ0सं0 004/2024 धारा 380/411/413 आईपीसी थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर
04. मु0अ0सं0 014/2024 धारा 379/413/411 आईपीसी थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर
05. मु0अ0सं0 129/2024 धारा 380/457 आईपीसी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0 332/2024 धारा 303(2)/317(4)/112 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा। (वांछित)
07. मु0अ0सं0 531/2024 धारा 303(2)/317(4)/112 बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा। (वांछित)
08. मु0अ0सं0 522/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा। (वांछित)
09. मु0अ0सं0 509/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा (वांछित)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संदीप कुमार मय हमराह
02. कां0 बृजेश कुमार पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.12.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा आत्महत्या हेतु प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 287/2025 धारा - 85, 103(1) बी0एन0एस0 व 3/4 D.P ACT से तरमीम धारा - 85,108 बी0एन0एस0 व 3/4 D.P ACT से सम्बन्धित अभियुक्त 01. आकाश शुक्ला पुत्र नानबच्चा उर्फ राजेश, 02. नानबच्चा उर्फ राजेश पुत्र कमला व 03. मिथिलेश शुक्ला उर्फ बिट्टा पत्नी नानबच्चा उर्फ राजेश को कौड़िया बाजार अभियुक्तगण के घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.12.2025 को वादी दिलीप कुमार तिवारी पुत्र जगदम्बा प्रसाद तिवारी निवासी रघुरामपुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होने अपनी लड़की की शादी वर्ष 2018 में आकाश शुक्ला पुत्र नानबच्चा निवासी कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के साथ हुई थी । गौने के बाद से ही उसके पति और ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिसलकी शिकायत उसके द्वारा अपनी माँ व वादी से करती थी । दिनांक 15.12.25 को सुबह 8 बजे वादी को लड़की के बेहोश होने की सूचना मिली । वादी द्वारा शंका व्यक्त की गई कि ससुरालीजनों द्वारा उनकी लड़की की हत्या कर दी गई है। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त- 01. आकाश शुक्ला पुत्र नानबच्चा उर्फ राजेश, 02. नानबच्चा उर्फ राजेश पुत्र कमला व 03. मिथिलेश शुक्ला उर्फ बिट्टा पत्नी नानबच्चा उर्फ राजेश को कौडिया बाजार अभियुक्तगण के घर से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आकाश शुक्ला पुत्र नानबच्चा उर्फ राजेश उम्र 26 वर्ष
02. नानबच्चा उर्फ राजेश पुत्र कमला उम्र 48 वर्ष
03. मिथिलेश शुक्ला उर्फ बिट्टा पत्नी नानबच्चा उर्फ राजेश उम्र 48 वर्ष नि0 गण कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 287/2025 धारा - 85,108 बी0एन0एस0 व 3/4 D.P ACT थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 खुशमोहम्मद खान
02. उ0नि0 अमरजीत सोनकर
03. हे0का0 रुपेश कुमार सिंह
04. का० विपिन यादव
05. म0आ0 सरस्वती पाठक।

मीडिया सेल, गोण्डा।